

22-2-24

पत्रावली पेश करने से पूर्व का अतिरिक्त प्रमाण पत्र पेश हो।
पूर्व का अतिरिक्त प्रमाण पत्र

18-4-24
उपरोक्त उपस्थित पीठाली अभिलेखी पुनः कार्य में व्यस्त होने से पत्रावली दिनांक 18-4-24 को पेश हो।
पूर्व का अतिरिक्त प्रमाण पत्र

11-6-24 वकील प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र पेश किये जाने से पत्रावली सिगह से तलब की गई। प्रार्थना पत्र को शामिल पत्रावली किया गया। प्रार्थना पत्र में वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि हम प्राचीन विपक्षी के विक्रम कोर्स कार्यवाही नहीं चाहते हैं। अतः प्रकरण को इसी स्टेज पर स्वारीज फरमाया जावे।

हलल

मैंने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व पत्रावली का अवलोकन किया। न्यायहित में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। वकील प्रार्थी द्वारा विपक्षी के विक्रम कोर्स कार्यवाही नहीं चाहने से प्रकरण इसी स्टेज पर स्वारीज किया जाता है दिनांक 29-12-15 को जारी अर्साई निषेधाज्ञा स्वारीज की जाती है पत्रावली फेरल शुमार होकर नम्बर से कम है।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

